



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1500/JH/4/2023-ESDW

दिनांक: 19.07.2024

सेवा में,

श्री कलुवा कच्छप,  
उपाध्यक्ष,  
ग्राम सभा, बारा घागरा,  
कुसई, पोस्ट व थाना दोरंडा,  
जिला-रांची, झारखंड  
फोन नं.

विषय: आदिवासियों के धार्मिक व सांस्कृतिक स्थल पर दबंगों द्वारा कब्जा करने तथा पुलिस द्वारा मदद करने के बजाय आदिवासियों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करने के संबंध में श्री कलुवा कच्छप, उपाध्यक्ष, ग्राम सभा, बारा घागरा, कुसई, पोस्ट व थाना दोरंडा, जिला-रांची, झारखंड का दिनांक 13.03.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग की माननीया सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 26.07.2024 को पूर्वाह्न 11:20 बजे आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में बैठक तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच. आर. मीना)  
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: [researchofficer-esdw@ncst.nic.in](mailto:researchofficer-esdw@ncst.nic.in)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीया सदस्य महोदया (अ.ल.) के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।